कार्यालय संयुक्त संचालक,
शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़

Email Id: jdedu.bastar@gmail.com Phone Number & Fax No: 07782-228340

क्रमांक / अशास. / मान्य.नवीनी. / JDLPR / 2022 / 4571 जगदलपुर, दिनांक 14 / 09 / 2022

प्रति,

प्राचार्य,
माऊन्ट लिट्रा ज़ी स्कूल जगदलपुर
वि.ख. जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19, के प्रयोजन के लिए नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / 42 / मान्यता / 2022–23, दिनांक 28.06.2022।

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के आधार पर मान्यता नवीनीकरण हेतु प्राचार्य / नोडल अधिकारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलोरी, वि.ख. जगदलपुर, जिला बस्तर, छ.ग. के पत्र क्रमांक / 1287 / प्राचार्य / 2022–23 बिलोरी, दिनांक 14.09.2022 द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अशासकीय शिक्षण संस्था – **माऊन्ट लिट्रा ज़ी स्कूल जगदलपुर, जिला बस्तर, छ0ग0** (यू डाईस कोड – 22153302409) को कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक नवीनीकरण (सी.बी.एस.ई. बोर्ड के अंतर्गत) सत्र **2022–23 से 2024–25 तक कुल तीन शिक्षा सत्र के लिए अंग्रेजी माध्यम** विद्यालय की शाला संचालन करने हेतु अनंतिम मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ–02–39 / 2019 / 20–दो, अटल नगर, दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :–

मान्यता / नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें

1. प्रदेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नही हानि नही (No Loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी / विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL
PRINCIPAL
JAGDALPUR

Manager
Vidip Educational Trust

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
विद्यालय/समिति फीस वृद्धि निर्धारन हेतु छ.ग. शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन/अधिसूचना के अंतर्गत ही कर सकेंगे ।

6. संस्था हेतु गठित समिति की वर्तमान सत्र के नवीनीकरण (धारा 27 एवं 28) की प्रति से अधोहस्ताक्षर कर्ता को अवगत करावें ।

7. नियमानुसार संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर, जगदलपुर एवं प्राचार्य माऊन्ट लिट्रा जी स्कूल जगदलपुर के नाम से राशि 50,000.00रु. की सावधी जमा पत्रक दिनांक 30.09.2022 तक पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें अन्यथा की स्थिति में मान्यता निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी ।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिए निम्नलिखित अंधोसंरचना होना अनिवार्य है :-

- विद्यालय.. का भवन में प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिए पृथक-पृथक कक्ष।
- स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।
- बाधारहित पहुंच मार्ग, आदि।
- कीडा, खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोगशाला की पृथक-पृथक उपलब्धता।

9. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।

10. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/ऑडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।

11. आपके विद्यालय का यू डाईस – 22153302409 को पत्राचार के लिए उपयोग करें।

12. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय/संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकारिणी की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गए हों।

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL
PRINCIPAL
JAGDALPUR

Manager
Vidip Educational Trust

13. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
14. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति मे संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.खं.शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित मे कारण सहित संसूचित करने होंगे।
15. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
16. कोविड 19 के संबंध मे छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुए शाला का संचालन करना होगा।

संयुक्त संचालक
शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर

पृ. क्र./अशास./मान्य.नवीनी./JDLPR /2022/ 4572 जगदलपुर, दिनांक 14/09/2022

प्रतिलिपि :—

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, पेंशनबाड़ा, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.ख. जगदलपुर, जिला बस्तर को सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक
शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL ★ JAGDALPUR ★ PRINCIPAL

Manager
Vidip Educational Trust